न्यायालय- सिविल जज(सी० डि०) / ए०सी०जे०एम०, गरौठा , जनपद- झाँसी ।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 298/ 2026

सरकार बनाम जजवीर सिंह आदि ।

मु०अ० सं०- 18/ 2021

धारा- 323, 504, 506 भा०द०सं०

थाना- ककरबई , जनपद- झाँसी ।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारण

दिनांक- 04. 06. 2026

1. आज दिनांक - 04. 06. 2026 को अभियुक्तगण **जजवीर सिंह , शैलेन्द्र सिंह** एवं **सौरभ** द्वारा न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा या किसी की कोई मारपीट नहीं की है , न ही कोई गाली- गलौज की है । न ही किसी को जान से मारने की धमकी दी है। उनको झूंठा फंसाया गया है। उक्त प्रकरण का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण अपने जमानत एवं मुचलका दाखिल करने को तैयार हैं। अतःअभियुक्तगण को दौरान मुकदमा उचित जमानत मुचलका पर रिहा करने की याचना की गई है।

3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र पर इस बावत आख्या अंकित की गयी है कि अभियुक्तगण का अपराध अजमानतीय है एवं जमानत का विरोध है।

4. अभियुक्तगण के नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व अवलोकन किया गया।

5. अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक का खण्डन करते हुये प्रश्नगत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा शत्रुतावश गलत ढंग से आलिप्त किया जाना कहा गया है। विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत मामले में उक्त अपराध की धाराओं के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण थाने से जमानत पर हैं। विदित होता है कि अभियुक्तगण ने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है। अभियोजन द्वारा कोई भी पर्याप्त व संतोषप्रद कारण नहीं दर्शाया जा सका है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जमानत पर मुक्त होने की दशा में अभियुक्तागण अभियोजन साक्षीगण अथवा साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की टैम्परिंग करेंगे अथवा उपरोक्त प्रकृति के अपराध पुनः कारित करेंगे अथवा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रहेंगे अथवा न्यायालय की

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.06.04 12:56:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आधिकारिता से परे पलायित कर जावेंगे। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध 7 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिक्षणीय है।

6. मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था **स्पेशल लीव टू अपील (Crl) No. (S) 5191/2021 सतेन्द्र कुमार एन्टिल बनाम सी०बी०आई० व अन्य तथा बच्ची देवी बनाम उ०प्र० राज्य Supreme (All) 2992** में दिये गये दिशा निर्देशों एवं मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण **जजवीर सिंह, शैलेन्द्र सिंह** एवं **सौरभ** को जमानत पर छोड़े जाने के पर्याप्त आधार हैं।

7. अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन 20,000/- रू० का एक बंधपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू व अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है:-

a- अभियुक्तगण नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते रहेंगे।

b- अभियुक्तगण प्रश्नगत अपराध की प्रकृति का अन्य अपराध कारित नहीं करेंगे।

c- अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों व साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की टैम्परिंग/ छेड़छाड़ आदि नहीं करेंगे।

(मयंक प्रकाश)
सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम०,
गरौठा, जनपद- झाँसी।
J. O. Code- UP2293